डा० सीतारामजी —— रामस्वरूप वगैरा
प्रा०पत्र डीच

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-2-2020 वकील उभयपक्ष उप०। डीच प्रा०पत्र पर वकील उभयपक्ष को पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 16-3-2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16-3-2020 वकील उभयपक्ष उप०। डीच प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
/2008	21.11.2008	16-3-2020

ठाकुरजी सीताराम जी विराजमान ग्राम आष्ट्रोली तहसील गंगापुर सिटी शाश्वत बालक जरिए वाद मित्र एवं पुजारी मूलचंद पुत्र रूपदास जाति वैष्णव ब्राह्मण निवासी ग्राम आष्ट्रोली तहसील गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मूडया, गुर्जर निवासी सोनपुरा (मृतक—नाम हजफ)
2. श्रीनारायण पुत्र हटीला, गुर्जर निवासी सोनपुरा (मृतक—नाम हजफ)
3. बलवन्त पुत्र हटीला, गुर्जर निवासी सोनपुरा (मृतक—नाम हजफ)
4. युवराज पुत्र हटीला, गुर्जर निवासी सोनपुरा तहसील गंगापुर सिटी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र ब्रीच

उपस्थित :—श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री ओम प्रकाश पारीक, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी ब्रीच प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी ख0नं0 355 रकबा 18 एयर, ख0नं0 362 रकबा 19 एयर, ख0नं0 364 रकबा 18 एयर, ख0नं0 365 रकबा 17 एयर, ख0नं0 366 रकबा 17 एयर, ख0नं0 367 रकबा 18 एयर ग्राम आस्ट्रोली मे स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। जिससे ठाकुरजी के भोगराग की व्यवस्था होती है व अन्य खर्चो मे काम आती है। इस कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा मजामहत पैदा करने पर एक दावा मूर्ति मंदिर श्रीसीतारामजी बनाम मूडया वगैरह के नाम से एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। जिसमे दिनांक 11.9.2008 को गैरसायलान को अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। यह आदेश आज तक प्रभावी है। इस पाबंदी आदेश के बाद भी अप्रार्थीगण ने दिनांक 10.10.08 को उक्त भूमि मे जबरन मकान का निर्माण शुरू कर दिया एवं दिनांक 12.10.08 तक कार्य पूर्ण कर पक्का दुपल्ला बना लिया। प्रार्थी को मालूम चलने पर प्रार्थी ने खेत पर जाकर मना किया तो अप्रार्थीगण झगडा करने लगे। अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के आदेशो की अवहेलना कर अवज्ञा की है। जिसके कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध ब्रीच की कार्यवाही की जाकर अप्रार्थीगण को दण्डित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर छः माह के सिविल कारावास से दण्डित किया जावे एवं अप्रार्थीगण द्वारा किये गये निर्माण को हटाया जाकर मौके की स्थिति पुनः रेस्टोर की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र ब्रीच वर्णित भूमि से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नही है। इस भूमि का गत खसरा नम्बर 132 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा रहा है जो हटीला पुत्र हरवक्श की खातेदारी भूमि थी। हटीला ही इस भूमि पर काबिज था एवं उसके पश्चात अप्रार्थीगण बतौर खातेदार काबिज काश्त है। भूप्रबन्ध विभाग को खातेदार की भूमि अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। अप्रार्थीगण ने कोई निर्माण नही किया है बल्कि पुरानी पाटोर की पट्टिया जो क्षतिग्रस्त हो गई थी उनको बदलवाया है ताकि अप्रार्थीगण का परिवार उनमे पूर्व की तरह रह सके व मवेशी आदि बॉध सके। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को परेशान करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावें।

कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 की मृत्यु हो गई। अतः इनका नाम हजफ किया गया।

ब्रीच प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रार्थी ने आदेश दिनांक 11.9.2000 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 1, आदेशिका दिनांक 3.9.08 से 10.11.08 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 2 पेश की है एवं प्रार्थी मूलचंद के बयान कराये है।

जबाब के समर्थन ने अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है एवं कोई मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की गई है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थीगण ने न्यायालय के अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 11.9.2000 का उल्लघंन किया है जिसके लिए इन्हे छः माह के सिविल कारावास से दंडित किया जावे और इन्होने जो निर्माण किया है उसे हटवाया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी बहस मे कहा कि अप्रार्थीगण ने न्यायालय के आदेश का कोई उल्लघंन नही किया है बल्कि पूर्व अप्रार्थीगण का जो निर्माण था उसमे कुछ पट्टिया क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिन्हे अप्रार्थीगण ने हटाकर सही करवाया है। अतः इनका प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.9.2000 प्रदर्श–1 के अवलोकन से विदित है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 355, 362, 364, 365, 366, 367 ग्राम आस्ट्रोली मे दखलअंदाजी नही करने हेतु अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था। यह अंतरिम आदेश समय

स्य पर बढाया जाता रहा है। प्रार्थी ने अपने ब्रीच प्रार्थना पत्र मे आदेश के लंघन के रूप मे अप्रार्थीगण द्वारा नवीन दुपल्ला वादग्रस्त भूमि मे बनाना कित किया है। अपने इस कथन के समर्थन में प्रार्थी की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रार्थी ने स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत की है, कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है। इसके अभाव में इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि अप्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ब्रीच प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना किया जाना सिद्ध नहीं होता है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ब्रीच प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16-3-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला-कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.06.24 13:32:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: